प्रकरण संख्या : 4/2021
छाजू वगै॰ बनाम लक्ष्मणसिंह वगै॰
निर्णय दिनांक : 11.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	4/2021
दायर दिनांक	:	21.01.2021
निर्णय दिनांक	:	11.06.2025

1. छाजू पुत्र रामसहाय जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेडली पटवार हल्का सूरजपुरा तहसील दौसा
2. पूरणमल पुत्र रामप्रताप जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेडली पटवार हल्का सूरजपुरा तहसील दौसा
3. महेशचन्द पुत्र रामप्रताप जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेडली पटवार हल्का सूरजपुरा तहसील दौसा
4. रूपा पुत्र रामसहाय जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेडली पटवार हल्का सूरजपुरा तहसील दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खेडली तहसील दौसा जिला दौसा
2. लादूराम पुत्र भौरया जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खेडली तहसील दौसा जिला दौसा
3. रामसिंह पुत्र कल्याण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. जयसिंह पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खेडली तहसील दौसा जिला दौसा
5. गोकुल पुत्र जौहरीलाल जाति सैनी, निवासी पटवारी वाली ढाणी भाण्डारेज तहसील दौसा
6. लल्लू पुत्र मांग्या जाति सैनी, निवासी पटवार वाली वाली ढाणी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
7. जगदीश पुत्र माधो जाति बैरवा, निवासी ग्राम खेडली तहसील दौसा जिला दौसा
8. फुलवती पत्नी किशोर जाति बैरवा, निवासी खेड़ली
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
10. तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है [illegible] आराजी खसरा नम्बर 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 254, 270, 271, 620, [illegible], 622, 630, 634, 640, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 666 ग्राम खेडली तहसील दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त आराजी की खातेदार [illegible] काश्तकार दर्ज [illegible] उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना है। दिनांक 25.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8

अपने परिवारजन को साथ लेकर प्रार्थीगण की उक्त आराजी वादग्रस्त में जबरन घुस गये। प्रार्थीगण ने तुरन्त मौके पर पहुँचकर इन्हें समझाया, तब जाकर ये वापस हुए। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश फरमावें कि वह प्रश्नगत आराजी का मौके पर मय टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की तामील मानी गयी।

उपस्थित अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से तहसीलदार दौसा ने जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडली तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 620, 621, 622, 630, 634, 640, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 666 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नम्बर 254, 270, 271 की खातेदारी नरेन्द्र पुत्र विष्णु प्रकाश जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। खसरा नम्बर 254, 270, 271 में मौके पर प्लाटिंग की हुई है। शेष खाली है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में खसरा नम्बर 254, 270, 271 के अतिरिक्त शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि की है। खसरा नम्बर 254, 270, 271 के खातेदार को प्रकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खेडली तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 620, 621, 622, 630, 634, 640, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 666 का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested